FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

#2019/00394 1124

62/2019

अज अदालत– **अपीलीय अधि0 एवं जिला कलक्टर** मुकाम **अजमेर**

मोड सिंह राणावत **बनाम** लोक सूचना अधि0 एवं उपखण्ड अधिकारी केकडी

किस्म मुकदमा–सूचना का अधिकार अधि.–2005 **प्रकरण संख्या 62 सन् 2019**

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में
25/9/19	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी केकडी से प्राप्त टिप्पणी का अपील मीमो के अवलोकन किया गया। अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना नगर पालिका केकडी से सम्बन्धित होने कारण उनके द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका केकडी को सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु सम्बन्धित अधिशाषी अधिकारी द्वारा वांछित सूचना/प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा अपीलान्ट को पत्रांक 5549 दिनांक 19.08.2018 से वांछित सूचना बाबत प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया है। तद्नुसार अपीलान्ट, वांछित सूचना अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, केकडी से प्राप्त करें। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, केकडी को निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध, देय सूचना/विनिश्चय से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अपने कार्यालय में सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त पत्रादि/आवेदनों का व्यवस्थित संधारण करें ताकि सूचना प्रदान करने में विलम्ब ना हों। अपील, अपीलान्ट इसी कदर से निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। (विश्व मोहन शर्मा) जिला कलक्टर अजमेर	

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner